आकाशवाणी श्री विजयपुरम

31.03.2025 समय : 1850

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में "नीति एन सी ए ई आर राज्य आर्थिक मंच" पोर्टल का शुभारंभ करेंगी।
- द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मामले को उठाया ।
- ईद–उल–फित्र का त्योहार आज पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
- कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कल से दस दिवसीय 'पुस्तक मेला' का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में "नीति एन सी ए ई आर राज्य आर्थिक मंच" पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद– एन सी ए ई आर के सहयोग से नीति आयोग ने इस पोर्टल को विकसित किया है। यह पोर्टल उन्नीस सौ नब्बे–इक्यानब्बे से दो हजार बाईस–तेईस तक लगभग तीस वर्षों की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों के आंकड़ों का व्यापक भंडार है। इस पोर्टल में राज्य रिपोर्ट, आंकड़ों का भंडार, राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड तथा अनुसंधान और टिप्पणी चार मुख्य घटक हैं। यह पोर्टल वृहद, राजकोषीय, जन सांख्यिकीय और सम–आर्थिक रुझानों की समझ, आसानी से सुलभ डेटा और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में सुविधा प्रदान करेगा। इससे एक ही मंच पर समेकित क्षेत्रीय डेटा की निरंतर आवश्यकता भी पूरी होगी।

<><><><><><><>

द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मामले को उठाया है। उन्होंने द्वीपसमूह के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनसंख्या मानदंड में विशेष छूट तथा संपर्क रहित बस्तियों को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए पांच सौ किलोमीटर की विशेष मंजूरी का अनुरोध किया है। श्री रे ने अपने पत्र में कहा है कि द्वीपसमूह की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, मौजूदा पीएम जी एस वाई दिशा–निर्देश के कारण सड़क संपर्क में चुनौतियां पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यभूमि की ग्रामीण बस्तियों के विपरीत, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में अधिकांश बस्तियाँ समूहबद्ध गाँवों के बजाय अलग–थलग खेत हैं। इन बस्तियों के बीच की दूरी अक्सर दो किमी से अधिक होती है, जिससे वर्तमान जनसंख्या–आधारित पात्रता मानदंड अप्रभावी हो जाता है और इस कारण ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़क संपर्क से वंचित रह जाता है। सांसद ने मंत्री से अनुरोध किया कि वे जनसंख्या मानदंड में विशेष छूट पर विचार करें, ताकि एक सौ से अधिक की आबादी वाले बस्तियों को पीएम जी एस वाई के तहत शामिल किया जा सके और पीएम जी एस वाई–चार के तहत निर्धारित सीमा से परे पांच सौ किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की विशेष मंजूरी दी जा सके, ताकि द्वीपसमूह में लंबित ग्रामीण सड़कों का निर्माण सुनिश्चित हो सके और इसके अनुसार द्वीप प्रशासन डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत कर सके ।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस के तहत श्री विजयपुरम का शिक्षा विभाग की ओर से कल से शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। शिक्षकों और अधिकारियों के सहयोग से स्कूल से बाहर के बच्चों, स्कूल छोड़ने वाले, प्रवासी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए घर–घर जाकर शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। आम जनता से गणनाकारों की सहायता करने का अनुरोध किया गया है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद–उल–फितर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उप–राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद–उल–फितर के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। द्वीपसमूह में भी ईद–उल–फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्री विजयपुरम के डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में 'बाल विवाह और बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार' पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनम, न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनम ने बाल विवाह और बाल यौन शोषण के मामलों तथा पोक्सो के मामलों से संबंधित आंकड़ों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुद्दों से निपटने वाले कानून के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई करने का आग्रह किया और जन जागरूकता अभियान पर जोर दिया। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में अतीत में मौजूद कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और उनमें संशोधनों के साथ–साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, दो हजार बारह, किशोर न्याय अधिनियम, दो हजार पन्द्रह, बाल विवाह निषेध अधिनियम, दो हजार छः जैसे विशेष कानूनों के अधिनियम पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, विधि विभाग के प्रभारी ए.एस.पी.एस. रविप्रकाश, शिक्षा सचिव एल. कुमार, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और अधिकारियों ने भी भाग लिया।

<><><><><><><>

कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कल से दस अप्रैल, तक श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में दस दिवसीय 'पुस्तक मेला' का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में कला और संस्कृति विभाग की निदेशक प्रियंका कुमारी ने सभी से पुस्तक मेला में शामिल होने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान के डॉ. आर पी अस्पताल, मायाबंदर में निमोनिया की रोकथाम पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें नर्सिंग अधिकारियों और ए एन एम ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आशीष जून मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रंगत के एम डी डॉ. कुमार गौरव ने निमोनिया की रोकथाम, निदान और उपचार पर जानकारी साझा की। प्रतिभागियों को सांस कार्यक्रम के

मुख्य घटकों से परिचित कराया गया, जो निमोनिया से निपटने के लिए समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है। प्रतिभागियों को निमोनिया निवारक रणनीतियों, लक्षणों की प्रारंभिक पहचान, उचित उपचार प्रोटोकॉल और निमोनिया के प्रभावी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई।

<><><><><><><><>